न्यायालय न्याय निर्णयन् अधिकारी(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या — 19/2017

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थी:–
सरकार जरिये श्री गजेन्द्रकुमार सिंहल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर		श्री सुमेर पुत्र श्री साजनराम, निवास–बजरंग नगर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर(राज.) 342014 मैसर्स सुमेर डेयरी, मोकलसर रोड, नोसरा, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.) मो.नं. 9636985727

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) एफ व धारा 51 के तहत्

उपस्थिति :–

1.श्री प्रतापसिंह,डाटा एन्ट्री ऑपरेटर,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर, प्रार्थी पैरोकार की ओर से ।

2.श्री मंगलसिंह राजपुरोहित ,अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 9.5.2019

1. प्रार्थी श्री गजेन्द्रकुमार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य दिनांक 4.1.2016से 19.6.2018 तक सम्पन्न किया है और वर्तमान में दिनांक 25.1.2019 से लगातार कार्यरत है। प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक H/FSSA/Notification/2011-727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/2015/1032 दिनांक 30.12.2015 के अनुसार प्रार्थी को कार्यक्षैत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर आवंटित किया गया है। क्रमांक शासन उप सचिव,कार्मिक विभाग,राजस्थान जयपुर जारी अधिसूचना क्रमांक/प.1(2) कार्मिक/ क–4/ 08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटो को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिए न्याय निर्णयन् अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.1.2017 को 11.00ए.एम पर मैसर्स–सुमेर डेयरी मोकलसर रोड नोसरा , तहसील आहोर, जिला जालोर पर पहूंचने पर प्रार्थी ने विक्रेता को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया, पूछने पर विक्रेता ने अपना नाम सुमेर पुत्र साजनरामजी बताया तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया, वास्ते निरीक्षणार्थ वर्ष 2017 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र होना जाहिर किया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि डेयरी के अन्दर रखे डिफ्रिज में 30 लीटर मिक्स दूध आमजनता को विक्रय के लिए रखे हुए थे, मिलावट का सन्देह होने पर डेयरी से 2 लीटर मिक्स दूध वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत के विक्रेता को 80 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर प्रार्थी स्वयं ने व विक्रेता तथा उपस्थित गवाहान वीरमाराम पुत्र भाखराराम विश्नोई,नोसरा व जानमोहम्मद वाहन चालक,कार्यालय हाजा ने हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5–ए की प्रतिया व फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता व गवाहान् को पढकर ,सुनाकर व समझकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर अप्रार्थी ने पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये, फार्म सं. 5–ए की एक प्रति अप्रार्थी/विक्रेता श्री सुमेर को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा 2 लीटर दूध को सूखी व खाली कांच की चार बोतलो में अलग अलग लिया,प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंद फार्मेलिन की डालकर पैक किया तथा लेबल तैयार कर लेबल पर डी.ओ.के कोड एवं क्रमांक ओ–704 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर प्रार्थी स्वयं ने हस्ताक्षर किये व विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये । चारो नमूना बोतलों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. जालोर की हस्ताक्षरसुदा पेपर स्लीप सं. ओ–704 नियमानुसार चारो नमूना पैकेटो पर नीचे उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान् के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को प्रार्थी ने अपने जाब्ते में लिया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं.6 की 6 प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया। एक नमूना भाग मय फार्म नं.6 की प्रति के आउटर कवंर में सील बन्द कर,सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज. जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, दो फार्म सं.6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सीलमोहर

कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राज. जोधपुर को जमा कराकर,फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सीलबंद नमूना भाग में फार्म नं. 6 की दो प्रतियो के आउटर कंवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के पत्र कमांक/एफएसएसए /2017/15 दिनांक 2.2.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./26/एक्ट /2017/26 दिनांक 24.1.2017 के अनुसार प्रार्थी द्वारा वास्ते जांच लिया गया नमूना सब स्टेण्डर्ड का होना पाया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालोर ने **पत्र** कमांक/एफएसएसए/स्वीकृति/ 2017/ ओ–704/3766 दिनांक 28.8.2017 **के द्वारा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त कैस को न्याय निर्णयन् अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में सबस्टेण्डर्ड दूध का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन कार्यक्षैत्र आवंटन की प्रति, नमूना खरीद बिल असल, फार्म नं.5ए असल,मौका फर्द रिपोर्ट असल,फार्म नं.6 असल एवं प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा खाद्य नमूना संख्या 0–704की प्राप्ति रसीद,खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट, मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर का पत्र कमांक एफ एसएसए/ स्वीकृति/2017/ ओ–704/3766 **दिनांक 28.8.17** आदि कागजात् प्रस्तुत किये है।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दि. 29.9.17 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत् नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 26.10.17 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री मंगलसिंह राजपुरोहित, वकील उपस्थित आये। अप्रार्थी वकील को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया।

5. अप्रार्थी के वकील को दिनांक 26.10.17 से 29.6.2018 तक जवाब पेश करने हेतु अवसर दिये गये लेकिन अप्रार्थी के वकील ने कोई जवाब पेश नही किया गया है।

6. सरकारी साक्ष्य सं.1(प्रार्थी)–श्री गजेन्द्रकुमार ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दिनांक 19.2.2019 को बयान लिये गये, बयान में बताया कि मिक्स दूध का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। शेष सरकारी गवाह,गौण होने से साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया।

7. उभयपक्ष की बहस सुनी गई, प्रार्थी ने अपने परिवाद प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व मिक्स दूध का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया जाने से अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित करने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थी के वकील ने बताया कि गाय का दूध व भैस का दूध शामिल हो तो एस.एन.एफ. निश्चित मात्रा से कम आता है।गाय के दूध में एस.एन.एफ. कम होता है,अतः प्रार्थी का परिवाद खारिज करावे।

8. बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों ,साक्ष्य सरकार सं.1 के बयान तथा इसके साथ संलग्न दस्तावेजात्, खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जांच–रिपोर्ट संख्या एल एस/26/ एक्ट/2017/26 दिनांक 24.1.2017से स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी से लिया गया मिक्स दूध का नमूना Sub standard पाया गया। चूंकि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टेण्डर्ड मिक्स दूध आम जनता को बैचान हेतु रखा हुआ था जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है। अतः अप्रार्थी द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006की धारा 26 की उपधारा 2(।।)के उल्लंघन करने से खाद्य मानक अधिनियम 2006की धारा 51 के तहत् प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए अप्रार्थी पर सब स्टेण्डर्ड के 15000/–अक्षरे पन्द्रह हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड– "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि " में नियमानुसार निर्णय एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर चालान की प्रति पेश करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 9.5.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

S.d. 9/5/19
(छगनलाल गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

(प्रकरण सं.19/2017,सरकार बनाम श्री सुमेर)

क्रमांक/ 433–436

दिनांक 9.5.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज.जयपुर।

2.अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर

3.श्री गजेन्द्र कुमार,खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि.जालोर।

4.श्री सुमेर पुत्र श्री साजनराम,निवास–बजरंग नगर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर(राज.) 342014 मैसर्स–सुमेर डेयरी, मोकलसर रोड, नोसरा, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)मो.नं. 9636985727

S.d. 9/5/19

(छगनलाल गोयल)

न्याय निर्णयन अधिकारी

(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)

जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chhagan Lal Goyal

Date: 2020.01.01 16:33:35 IST

Reason: SelfAttested

Location: